न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
जिला जोधपुर कैम्प पटेलनगर

पीठासीन अधिकारी – भवानी सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 13/2021

वादी बनाम प्रतिवादी

वादी	प्रतिवादी
पटेल पुत्र स्व. श्री पटेल लाबूराम जाति पटेल निवासी पटेलनगर हालमुकाम प्लॉट नम्बर 60 चाणक्यपुरी कॉलोनी मलारपुर जिला रंगारेडी तेलंगाना	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति –प्रार्थी की ओर से श्री हेमन्त चौधरी अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 सरकारी पेरोकार

निर्णय दिनांक :– 18.11.2021

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पटेल नगर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1601 रकबा 6.5044 हैक्टेयर स्थित है। जिसकी खातेदारी वादी के पिता लाबूराम पुत्र अनाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। वादी के पिता का देहान्त सन् 1982–1983 में हो गया उनका देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 1204 स्वीकृत किया गया उस फौतेदगी नामान्तकरण सख्या 1204 में प्रार्थी का नाम पटेल रमेश के बजाय पुरखाराम दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सरकारी दस्तावेजों के अनुसार पटैल रमेश है। प्रार्थी अभी दिनांक 15.11.2020 को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में गलत नाम को शुद्धि कराने हेतु हल्का पटवारी के पास गया। ओर निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्धि की जावें, और अपने सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि दस्तावेज हल्का पटवारी के समक्ष पे"ा किये, जिस पर हल्का पटवारी ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका पटेल रमेश लिखा हुआ है और जमाबन्दी में आपका नाम पुरखाराम लिखा हुआ है, जिस पर हल्का पटवारी ने नाम शुद्धि करने से मना कर दिया और प्रार्थी को कहा कि सक्षम न्यायालय से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे शुद्धि [illegible] करवायी जावे। इस कारण प्रार्थी को राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम पटेल रमेश दर्ज [illegible] हेतु का यह प्रार्थना पत्र पे"ा करना पड़ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया कि खसरा नम्बर 1601 रकबा 6.5044 हैक्टेयर मे वादी का नाम जरिये विरासत नामांतकरण संख्या 1204 के तहत पुरखाराम पुत्र लाबुराम 1/24 सह खातेदार के रूप में दर्ज हुआ था।वादी राजस्व रेकर्ड जमाबंदो में पुरखाराम पुत्र लाबुराम 1/24 के स्थान पर पटेल रमेश पुत्र स्व. श्री लाबूराम पटेल दर्ज करवाना चाहता है। जिसमे भूमि धारी की सहमति है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 137/2019 अनवान पटेल रमेश बनाम सरकार का निर्णय दिनांक 31.12.2019 की नकल को पेश किया तथा कार्यालय ग्राम पंचायत पटेलनगर द्वारा विरासत प्रमाण पत्र दिनांक 18.11.2021 का पेश किया।

पत्रावली ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। तथा ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1601 रकबा 6.5044 हैक्टैयर के राजस्व रेकर्ड में पुरखाराम पुत्र लाबुराम हिस्सा 1/24 जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर पटेल रमेश पुत्र स्व. श्री पटेल लाबूराम हिस्सा 1/24 जाति कुम्हार (प्रजापति) दर्ज की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फै"ाल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:04 IST
Reason: SelfAttested